सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू
(पीठासीन अधिकारी –राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

दायरा दिनांकः–23.04.2025

वाद संख्याः– 93/2025(GCMS No. 2025/156)

भागुराम पुत्र फकीराराम, जाति मेघवाल, निवासी धीरवास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. निकूराम पुत्र फकीराराम, जाति मेघवाल, निवासी धीरवास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. पूर्णाराम पुत्र फकीराराम, जाति मेघवाल, निवासी धीरवास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. राकेश पुत्र महावीर, जाति मेहतर, निवासी धीरवास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. शंकरलाल पुत्र फकीराराम, जाति मेघवाल, निवासी धीरवास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू।
5. शिशपाल पुत्र फकीराराम, जाति मेघवाल, निवासी धीरवास बड़ा, तहसील तारानगर जिला चूरू।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
7. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. वादी– श्री अनिल कुमार स्वामी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 5– श्री किशनलाल कुम्हार।
3. प्रतिवादी संख्या 6– पैरोकार राज नायब तहसीलदार तारानगर।

दावा खाता विभाजन हस्ब दफा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954।

–:<u>निर्णय अन्तिम डिक्रीः</u>–

निर्णय दिनांकः– 10.11.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 वास्ते प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व व सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 बाबत खाता विभाजन के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा नंबर 1796/547 तादादी 2.5796 है0, खसरा नंबर 2317/946 तादादी 2.1497 है0, खसरा नंबर 2321/646 तादादी 0.4932 है0, खसरा नंबर 605 तादादी 4.1729 है0 कुल तादादी 9.3954 है0 वाके ग्राम धीरवास पटवार हल्का धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की शामलाती कब्जे

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक खाताविभाजन नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि काश्त के समय आरा पारा व किस्म को लेकर विवाद रहता है, जिससे वादी अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नही कर पाता है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक खाताविभाजन कराया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बाद विधिवत तामील असालतन व वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि–

- *कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0432 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6450 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946 मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर कुल तादादी 2.2256 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग भूरा से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 1 निकूराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।*
- *कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0432 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6450 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946 मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर कुल तादादी 2.2256 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग नीला से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 2 पुर्णाराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।*
- *कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0432 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6448 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946, मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर, ख. नं. 2321/646 मीन तादादी 0.0235 हैक्टयर, कुल तादादी 2.2489 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया है वादी भागुराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।*
- *कृषिभूमि ख. नं. 2321/646 मीन तादादी 0.0999 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग पीला से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 3 राकेश पुत्र महावीर जाति मेहतर निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।*
- *कृषिभूमि ख. नं. 2321/646 मीन तादादी 0.2466 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग काला से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 4 शंकरलाल पुत्र अमरसिंह जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।*
- *कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0433 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6449 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946 मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर, ख. नं. 2321/646 तादादी 0. 1232 हैक्टयर कुल तादादी 2.3488 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला*

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

चूरू जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं 5 शिशपाल पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।

- *यह कि संलग्न नक्शा मुताबिक रास्ता लाल बॉल पेन से दर्शाया गया व ख. नं. 2321/646 व 605 के कटानी रास्ता लगता है।*

3. इनके द्वारा जवाब दावा पेश नही किया जाना जाहिर किया गया। विद्वान अभिभाषक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने दौरान ए बहस संयुक्त आराजी में से राजीनामा व संलग्न नक्शा के अपना–अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर खाताविभाजन किये जाने का निवेदन किया।

4. मैंने प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2073–2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि संयुक्त आराजी खसरा नंबर 1796/547 तादादी 2.5796 है0, खसरा नंबर 2317/946 तादादी 2.1497 है0, खसरा नंबर 2321/646 तादादी 0.4932 है0, खसरा नंबर 605 तादादी 4.1729 है0 कुल तादादी 9.3954 है0 वाके ग्राम धीरवास पटवार हल्का धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। उक्त विवादित आराजी अविभाजित हैं, पक्षकारान के हिस्से खुले हुए हैं एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। अतः पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजी का विधिक तकासमा मुताबिक राजीनामा व संलग्न नक्शे के अनुसार किया जाना आवश्यक है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खाताविभाजन मुताबिक राजीनाम मय संलग्न नक्शा के तहत स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त आराजी खसरा नंबर 1796/547 तादादी 2.5796 है0, खसरा नंबर 2317/946 तादादी 2.1497 है0, खसरा नंबर 2321/646 तादादी 0.4932 है0, खसरा नंबर 605 तादादी 4.1729 है0 कुल तादादी 9.3954 है0 वाके ग्राम धीरवास पटवार हल्का धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का मुताबिक राजीनामा के–

i. कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0432 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6450 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946 मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर कुल तादादी 2.2256 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग भूरा से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 1 निकूराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।

ii. कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0432 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6450 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946 मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर कुल तादादी 2.2256 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग नीला

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Jayendra

से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 2 पुर्णाराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।

iii. कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0432 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6448 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946, मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर, ख. नं. 2321/646 मीन तादादी 0.0235 हैक्टयर, कुल तादादी 2.2489 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया है वादी भागुराम पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।

iv. कृषिभूमि ख. नं. 2321/646 मीन तादादी 0.0999 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग पीला से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 3 राकेश पुत्र महावीर जाति मेहतर निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।

v. कृषिभूमि ख. नं. 2321/646 मीन तादादी 0.2466 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग काला से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 4 शंकरलाल पुत्र अमरसिंह जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।

vi. कृषिभूमि ख. नं. 605 मीन 1.0433 हैक्टयर, ख.नं. 1796/547 मीन तादादी 0.6449 हैक्टयर, ख. नं. 2317/946 मीन तादादी 0.5374 हैक्टयर, ख. नं. 2321/646 तादादी 0.1232 हैक्टयर कुल तादादी 2.3488 हैक्टयर रोही मौजा धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है प्रतिवादी सं. 5 शिशपाल पुत्र फकीराराम जाति मेघवाल निवासी धीरवास बड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक व हिस्सा में रहेगी।

vii. यह कि संलग्न नक्शा मुताबिक रास्ता लाल बॉल पेन से दर्शाया गया व ख. नं. 2321/646 व 605 के कटानी रास्ता लगता है।

के अनुसार अलग–अलग खाता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी।

राजीनामा व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अन्तिम पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु तहसीलदार तारानगर को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार),
उपखण्ड अधिकारी, तारानगर(चूरू)

यह अंतिम डिक्री निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.11.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार),
उपखण्ड अधिकारी, तारानगर(चूरू)